न्यूज़ टुडे

विदेश मंत्रालय ने 'ओवरसीज मोबिलिटी (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025' के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित किए

इस विधेयक का उद्देश्य **भारतीय नागरिकों के विदेशों में काम करने और वहां रहने** से संबंधित कानूनों को एकीकृत एवं संशोधित करना है।

- इस विधेयक के तहत **विदेश में रोजगार और कार्य-संबंधी उद्देश्यों के लिए प्रवासन की प्रक्रिया को सुरक्षित, कानूनी, सुव्यवस्थित व पारदर्शी बनाने** के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया गया है।
- यह विधेयक कानून बन जाने के बाद **1983 के इमिग्रेशन एक्ट** का स्थान लेगा।
- **वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव,** कार्य के नए अवसरों के सृजन, और विदेश में रोजगार की तलाश के दौरान संकट में फंसने वाले **नागरिकों की सुरक्षा** सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का **कानून आवश्यक** हो गया है।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

- **ओवरसीज मोबिलिटी और कल्याण परिषद** का गठन किया जाएगा। यह परिषद इस कानून के तहत शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेगी।
  - **विदेश मंत्रालय का सचिव** इस परिषद का **पदेन अध्यक्ष** होगा।
- **मोबिलिटी रिसोर्स सेंटर्स** स्थापित किए जाएंगे, जो प्रवासियों को सूचना, संसाधन एवं प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
- **एकीकृत सूचना प्रणाली** स्थापित की जा सकती है, जो नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेंगी।
- **गैर-कानूनी प्रवासन और मानव तस्करी** की समस्याओं से निपटने हेतु नीतियां बनाई जाएंगी और आवश्यक उपाय किए जाएंगे।
- **ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसियों** को मान्यता देने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, **कुछ श्रेणियों के विदेशी नियोक्ताओं** के लिए कुछ प्रक्रियाएं भी अनिवार्य की जाएंगी।
- **ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी** के आदेशों का उल्लंघन करने पर **प्रत्येक उल्लंघन के लिए कम-से-कम पांच लाख रुपये** का जुर्माना लगाया जाएगा।

नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए 'रोडमैप' जारी किया

भारत का तकनीकी क्षेत्र संभावित **रोजगार ह्रास** का सामना कर रहा है, लेकिन **अगले 5 वर्षों में 4 मिलियन नई नौकरियां** सृजित करने का अवसर भी है।

- यह व्यापक रोडमैप **कार्य-कामगार-कार्यबल** (Work-Worker-Workforce) के परिप्रेक्ष्य का उपयोग करता है। यह दर्शाता है कि भारत कैसे व्यवधान (disruption) को अवसर में बदल सकता है और दुनिया की **AI वर्कफोर्स कैपिटल** बन सकता है।

भारत के सामने AI से संबंधित 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां

- **व्यापक रोजगार परिवर्तन का जोखिम:** भारत में 60% से अधिक औपचारिक नौकरियां 2030 तक स्वचालन (automation) के प्रति संवेदनशील हैं।
- **कौशल में अंतराल:** भारतीय स्नातक अक्सर विशेष व अनुसंधान-गहन AI करिकुलम और पाठ्यक्रम को **रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन (RAG)** जैसी नई अवधारणाओं के अनुरूप रखने में पीछे रह जाते हैं।
- **AI प्रतिभा आपूर्ति-मांग में अंतराल:** AI प्रतिभा की आपूर्ति वर्तमान में मांग की केवल **लगभग 50%** है।

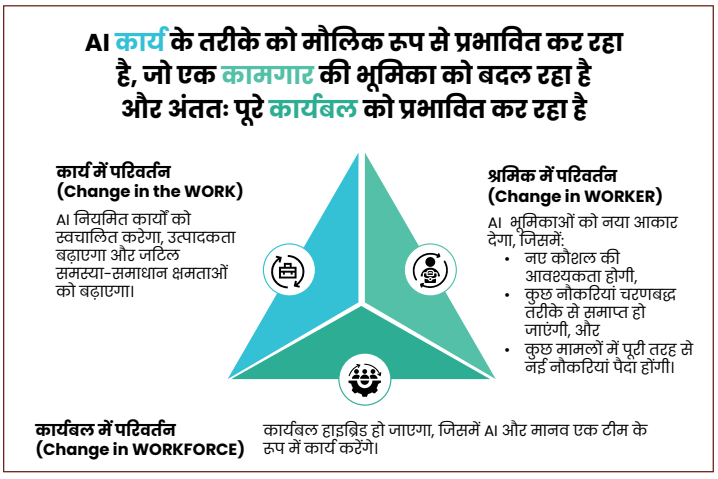

नीति आयोग द्वारा भारत के लिए सिफारिशें

- **रणनीति और निरीक्षण को एकजुट** करने तथा निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशों को लागू करने के लिए भारत को एक **AI प्रतिभा मिशन (AI Talent Mission)** स्थापित करना चाहिए।
  - **AI को सभी स्तरों पर एकीकृत** करना चाहिए यानी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक।
  - **राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम** शुरू करना चाहिए और मौजूदा कार्यबल के लिए लचीले AI मास्टर्स एवं डॉक्टरेट प्रोग्राम शुरू करने चाहिए।
  - **शीर्ष AI शोधकर्ताओं को बनाए रखने** के लिए **आकर्षक अनुदान और वेतन** की पेशकश करना, **स्वायत्त AI उत्कृष्टता केंद्र (AI CoEs)** स्थापित करना, एक समर्पित **AI प्रतिभा वीज़ा** पेश करना और स्टार्ट-अप पुनर्वास सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- **AI प्रतिभा मिशन को इंडियाAI मिशन** के सहयोग से काम करना चाहिए।
  - **एक इंडिया ओपन-सोर्स AI कम्युनिटीज़ को परिचालन में लाना:** उच्च-गुणवत्ता वाले डेटासेट्स, मॉडल्स और पारदर्शी बेंचमार्क की मेजबानी करने वाला एक केंद्रीय पोर्टल बनाना चाहिए।
  - एक **फेडरेटेड नेशनल कंप्यूट एंड इनोवेशन ग्रिड** को परिचालन में लाना चाहिए।

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नजर

- भारत ने **काबुल** स्थित अपने "**तकनीकी मिशन**" को '**पूर्ण दूतावास**' का दर्जा देने की घोषणा की।
- भारत ने **तालिबान को नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में अपने राजनयिक नियुक्त करने की अनुमति** दी।
  - गौरतलब है कि **अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद** कर दिया था।
  - **जून 2022 में,** भारत ने "**तकनीकी टीम**" को तैनात कर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति फिर से दर्ज कराई थी।
- दोनों देशों ने **सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयास करने पर सहमति** व्यक्त की।
- अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया कि **अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग किसी भी अन्य देश के खिलाफ कोई गतिविधि चलाने के लिए नहीं** किया जाएगा।
- **भारत-अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर** की शुरुआत की गई।
  - अफगानिस्तान ने **भारतीय कंपनियों को अपने खनन क्षेत्र में अवसरों की खोज करने के लिए आमंत्रित** किया।

तालिबान के साथ भारत के हालिया संपर्क के कारण

- अपने **राष्ट्रीय हितों को साधना और सुरक्षा चिंताओं** को दूर करना, ताकि अफगानिस्तान से संचालित आतंकवादी संगठनों पर अंकुश लगाया जा सके।
- **पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को प्रतिसंतुलित** करना।
- **पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंध बिगड़ने** के कारण उत्पन्न **भूराजनीतिक बदलावों तथा व्यावहारिक राजनीति (रियल पॉलिटिक)** को ध्यान में रखना।
- **अफगानिस्तान में क्षमता निर्माण और मानवतावादी पहलों** के माध्यम से सद्भाव एवं विश्वास का निर्माण करना ।

भारत-अफगानिस्तान संबंधों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां

- **तालिबान की शासन व्यवस्था निरंकुश है,** जो विशेष रूप से **महिलाओं के मानवाधिकारों की अनदेखी** करती है।
- तालिबान सरकार को **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक राजनयिक मान्यता नहीं** मिली है।

सरकार ने "ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य" नियम अधिसूचित किए

कानूनी रूप से बाध्यकारी पहला **GEI लक्ष्य नियम, 2025** चार उच्च-उत्सर्जन क्षेत्रकों, अर्थात **एल्युमीनियम, सीमेंट, लुगदी व कागज और क्लोर-क्षार (chlor-alkali)** को लक्षित करता है।

- GEI, **उत्पाद की प्रति इकाई पर उत्पन्न होने वाली GHGs की मात्रा** है। उदाहरण के लिए- सीमेंट या एल्युमिनियम जैसे उत्पाद के प्रति टन के उत्पादन में मुक्त गैसें।

नियम क्या हैं?

- **किसके तहत जारी किए गए:** कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS), 2023 के **अनुपालन तंत्र** के तहत।
- **अनुपालन लागू करने वाला निकाय:** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)।
- **उद्देश्य:** कार्बन-गहन क्षेत्रों में **उत्पादन** (उत्पाद के प्रति टन tCO_2e) **के प्रति इकाई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम** करना और **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग को सुगम** बनाना।

तंत्र

- **अनुपालन करने वाली ऐसी संस्था,** जो लक्ष्य से नीचे उत्सर्जन करती है, **व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र** अर्जित कर सकती है।
  - BEE कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
- **गैर-अनुपालन संस्थाओं (Non-compliant entities)** को अतिरिक्त प्रमाण-पत्र खरीदने होंगे या **पर्यावरण मुआवजा** देना होगा, जो उस अनुपालन वर्ष के लिए **औसत कार्बन क्रेडिट मूल्य का दोगुना** होगा।

महत्त्व

- **बाजार-आधारित अनुपालन:** अर्जित क्रेडिट्स का घरेलू कार्बन बाजार में **व्यापार** किया जा सकता है।
  - ये नियम CCTS, 2023 के तहत **देश के घरेलू कार्बन बाजार को परिचालन में लाने** में मदद करेंगे।
- **पारदर्शिता:** भारतीय कार्बन बाजार पोर्टल के तहत पंजीकरण और दस्तावेजीकरण।
- **संधारणीयता के लिए राजस्व:** पर्यावरण मुआवजा निधियां **कार्बन बाजार बुनियादी ढांचे** का समर्थन करती हैं।
- **भारत के जलवायु लक्ष्यों का समर्थन:** पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं का समर्थन करते हैं।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS), 2023 के बारे में

- **उद्देश्य:** भारत के **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs)** के अनुरूप देश के भीतर **GHG उत्सर्जन तीव्रता को कम** करने के लिए भारत का पहला **घरेलू कार्बन बाजार** विकसित करना।
- **किसके तहत अधिसूचित:** ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत।
- **यह दो तंत्रों के तहत कार्बन बाजार स्थापित करता है:**
  - **अनुपालन तंत्र:** ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए **अनिवार्य कार्यक्रम,** जहां सरकार GHG उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य निर्धारित करेगी।
  - **ऑफसेट तंत्र:** अनुपालन तंत्र के तहत कवर नहीं की गई संस्थाओं के लिए एक **स्वैच्छिक परियोजना-आधारित तंत्र**।

'सा-धन' (Sa-Dhan) ने सूक्ष्म-वित्त पर तिमाही रिपोर्ट जारी की

यह रिपोर्ट **'भारत सूक्ष्म वित्त रिपोर्ट'** (Annual Bharat Microfinance Report) का हिस्सा है।

- इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रक में **ऋण चुकाने (Loan delinquencies) की दर में व्यापक गिरावट** को उजागर किया गया है। इससे सूक्ष्म वित्त क्षेत्रक की पुनर्भुगतान प्रणाली पर दबाव बढ़ा है।
  - ऋण चुकाने में विफलता की मुख्य वजहों में **ग्रामीण आर्थिक संकट, मौसम की वजह से नुकसान, वित्तीय साक्षरता की कमी** आदि शामिल हैं।

भारत में सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रक

- **परिभाषा:** सूक्ष्म-वित्त यानी माइक्रोफाइनेंस उन बैंकिंग सेवाओं को कहा जाता है, जो **कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों** को ऋण प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं। इन व्यक्तियों या समूहों को आम तौर पर पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से ऋण नहीं मिल पाता है।
- **महत्त्व:**
  - **वित्तीय समावेशन में सहायक:** ये संस्थाएं वंचित वर्गों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ती हैं।
  - **ग्रामीणों को वित्तीय सेवा प्रदान करती हैं:** सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं के 71% ग्राहक ग्रामीण हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म-वित्त ऋण प्रदाता संस्थाएं (MLIs) अविकसित ग्रामीण आबादी तक पहुंचने में सफल रही हैं।
  - **महिलाओं के सशक्तीकरण में योगदान:** ये संस्थाएं महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ऋण प्रदान करती हैं। इन SHGs ने सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने में अहम भूमिका निभाई है।
    - गौरतलब है कि **बैंकों से जुड़े 88% SHGs का नेतृत्व महिलाओं** के हाथ में है।
- **सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं के समक्ष मुख्य चुनौतियां**
  - **परिसंपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट:** विगत वर्ष की तुलना में **जोखिम वाले पोर्टफोलियो (PAR)** सभी श्रेणियों में बदतर हो गए हैं। यह स्थिति वितरित ऋण से जुड़े जोखिम का संकेत देती है।
  - **राज्यवार ऋण-चुकाने में विफलता की स्थिति: बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब** रहा। बिहार में **न केवल बकाया ऋण की राशि सबसे अधिक** थी, बल्कि **डिफॉल्ट दर** भी सबसे ऊंची थी।
  - **संचालन और वित्तीय चुनौतियां:**
    - **ग्राहक और स्टाफ को जोड़े रखने में कठिनाई:** सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं को अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को अपने साथ जोड़े रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
    - **कॉस्ट ऑफ फंड्स में वृद्धि:** सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रक के लिए **कॉस्ट ऑफ फंड्स** बढ़कर 11.33% हो गया है। इसमें भी लघु सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं को सबसे अधिक लागत झेलनी पड़ी।
      - 'कॉस्ट ऑफ फंड्स' से तात्पर्य उस लागत से है, जिसका बैंक और वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को उधार देने के लिए फंड प्राप्त करने हेतु भुगतान करते हैं।
    - **लाभप्रदता में गिरावट: 1% से कम की 'इक्विटी पर रिटर्न (RoE)'** की रिपोर्ट करने वाली सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं की संख्या में उच्च वृद्धि दर्ज की गई है।

दीर्घकालिक संवृद्धि के लिए उपाय

- **सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रक की दीर्घकालिक संवृद्धि निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करेगी:**
  - ग्राहकों की ऋण चुकाने की क्षमता का बेहतर आकलन करना,
  - डिजिटल तकनीक अपनाना,
  - नीतिगत उपाय करना,
  - जिम्मेदारी से ऋण वितरण करना, और
  - ऋण-वसूली में सुधार करना।

सरकार द्वारा सूक्ष्म-वित्त को सशक्त करने के लिए उठाए गए कदम

- **स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंक कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य SHGs के लिए ऋण वितरण बढ़ाना और SHGs द्वारा इन ऋणों का उपयोग **गैर-आयसृजन गतिविधियों की बजाय उत्पादन आधारित गतिविधियों** में करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना:** यह योजना लघु व्यवसायों को **बिना कुछ गिरवी रखे** सूक्ष्म ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है।
- **नाबार्ड द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता:** नाबार्ड (NABARD) अपनी **दीर्घकालिक पुनर्वित्त सुविधा (Long-Term Refinance Facility)** के तहत लघु-वित्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

अन्य सुर्ख़ियां

सिद्दी आदिवासी समुदाय

सिद्दी आदिवासी समुदाय एक **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG)** है। इसने **72 प्रतिशत से अधिक की साक्षरता दर** हासिल की है।

सिद्दी आदिवासी समुदाय के बारे में

- इन्हें **हब्शी या बादशाह** के नाम से भी जाना जाता है। यह एक **अफ्रीकी-भारतीय आदिवासी समुदाय** है, जिनके बारे में माना जाता है कि ये **पूर्वी अफ्रीका से प्रवास** करके आए थे।
- **अवस्थिति:** भारत का पश्चिमी तट, अर्थात् **गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र।**
- **व्यवसाय:** पारंपरिक रूप से शिकारी और संग्राहक थे; अब अधिकांशतः **कृषि मजदूर और दिहाड़ी मजदूर** हैं।
- ऐसा माना जाता है कि वे पहली बार **7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों** के साथ तथा **16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों और अंग्रेजों** के साथ, ज़्यादातर **गुलामों** के रूप में भारत आए थे।
- वर्तमान में, ये **केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति** के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।

सावलकोट जल-विद्युत परियोजना

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की शीर्ष समिति ने **सावलकोट जल-विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी** प्रदान कर दी है।

सावलकोट जल-विद्युत परियोजना के बारे में

- यह **1,856 मेगावाट** क्षमता वाली **'रन-ऑफ-द-रिवर'** जल-विद्युत परियोजना है।
- यह परियोजना **चेनाब नदी** पर केंद्र-शासित प्रदेश **जम्मू और कश्मीर के रामबन एवं उधमपुर जिलों** में प्रस्तावित है।
  - 'रन-ऑफ-द-रिवर' परियोजना **बिजली उत्पादन के लिए नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग** करती है। इस तरह की परियोजना में बहुत कम जल भंडारण की आवश्यकता होती है या बिल्कुल नहीं होती।
- भारत द्वारा **सिंधु जल संधि (IWT) के निलंबन के बाद पहली बार सिंधु नदी तंत्र पर किसी बड़ी जल-विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी** प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM)

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने तीन बड़े बंदरगाहों (महापत्तनों) को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के तहत "**ग्रीन हाइड्रोजन हब**" के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की।

- **'ग्रीन हाइड्रोजन हब' के रूप में मान्यता प्राप्त बंदरगाह हैं:**
  - दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण (गुजरात);
  - वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट प्राधिकरण (तमिलनाडु); तथा
  - पारादीप पोर्ट प्राधिकरण (ओडिशा)
- **'ग्रीन हाइड्रोजन हब' की मान्यता मिलने से इन बंदरगाहों में** औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी, हरित निवेश में वृद्धि होगी और स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकियों में नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के बारे में

- **घोषणा:** जनवरी 2023 में की गई।
- **उद्देश्य:** भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके उप-उत्पादों या डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना।
- **लक्ष्य:** वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नोबेल शांति पुरस्कार 2025

वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार **मारिया कोरिना मचाडो** को देने की घोषणा की गई।

- यह पुरस्कार **वेनेजुएला** में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्यायसंगत एवं शांतिपूर्ण बदलाव हेतु **मचाडो के संघर्ष** के लिए दिया गया है।

नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में

- नोबेल शांति पुरस्कार की **स्थापना 1901** में हुई थी।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह पुरस्कार **निम्नलिखित चार मुख्य क्षेत्रों में प्रयासों को सम्मानित** करने के लिए दिया जाता रहा है:
  - शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण;
  - शांति वार्ता;
  - लोकतंत्र और मानवाधिकार;
  - बेहतर संगठित और अधिक शांतिपूर्ण विश्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया कार्य।
- **नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक:**
  - मदर टेरेसा (1979); तथा
  - कैलाश सत्यार्थी (2014)

यादृच्छिक संख्याएं (Random Numbers)

रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने **वास्तविक (True) यादृच्छिक संख्याएं प्राप्त करने और प्रमाणित करने के लिए नई क्वांटम तकनीकें** विकसित की।

यादृच्छिक संख्याएं क्या हैं?

- ये संख्याएं **डिजिटल एन्क्रिप्शन, सत्यापन प्रणाली और साइबर सुरक्षा** के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं।
- वर्तमान प्रणालियां **छद्म-यादृच्छिक संख्याओं (Pseudorandom numbers)** का उपयोग करती हैं, जिन्हें **एल्गोरिदम** द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऐसी संख्याएं पूरी तरह से **यादृच्छिक नहीं** होतीं, क्योंकि **क्वांटम कंप्यूटर** की सहायता से इनका पूर्वानुमान किया जा सकता है।

वास्तविक यादृच्छिक संख्याएं क्या हैं?

- **वास्तविक यादृच्छिकता** (True Randomness) उन प्राकृतिक या भौतिक प्रक्रियाओं में देखी जाती है, जो **प्राकृतिक रूप से अनिश्चित होती हैं, और किसी एल्गोरिदम से उत्पन्न नहीं होतीं।**
  - **रेडियोएक्टिविटी और मौसम संबंधी घटनाएं** प्रकृति में प्राप्त यादृच्छिक प्रक्रियाएं हैं।
- इनसे उत्पन्न संख्याएं पूर्णतः **अप्रत्याशित एन्क्रिप्शन-की** (Unpredictable Encryption Keys) बनाने में सक्षम होती हैं, जिससे **डिजिटल प्रणालियां लगभग सुरक्षित** बन सकती हैं।

बामियान बुद्ध

हाल ही में, **बामियान बुद्ध** सुर्ख़ियों में थे।

बामियान बुद्ध के बारे में

- बामियान में बुद्ध की **किसी स्मारक के आकार की दो प्रतिमाएं** थीं, जिनकी ऊंचाई **115 और 174 फीट** थी।
- **अवस्थिति:** मध्य अफगानिस्तान में **बामियान घाटी** की बलुआ पत्थर की चट्टानें।
- **अवधि:** छठी शताब्दी में निर्मित।
- **कलात्मक महत्त्व:** ये प्रतिमाएं **गांधार बौद्ध कला** का उदाहरण प्रस्तुत करती थीं।
  - **मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार** से निकटता से जुड़ी थीं।
- **विध्वंस:** 2001 में **तालिबान** द्वारा नष्ट कर दिया गया।
- **यूनेस्को द्वारा मान्यता:** बामियान घाटी को 2003 में **विश्व धरोहर स्थल** घोषित किया गया था।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

बारबाडोस (राजधानी: ब्रिजटाउन)

लोक सभा अध्यक्ष ने 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के अवसर पर **बारबाडोस की नेशनल असेंबली में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल (IPD)** का नेतृत्व किया।

भौगोलिक अवस्थिति

- **अवस्थिति:** यह **दक्षिण-पूर्वी कैरेबियाई सागर (उत्तरी अटलांटिक महासागर)** में स्थित एक **द्वीपीय देश** है। यह **वेनेजुएला** के उत्तर-पूर्व में, **लेसर एंटील्स** के पास स्थित है।
  - **लेसर एंटील्स** कैरेबियाई सागर में छोटे द्वीपों की एक लंबी चाप है, जो **वर्जिन द्वीप समूह से ग्रेनाडा तक उत्तर-दक्षिण दिशा** में फैली हुई है।
- बारबाडोस **कैरेबियाई समुदाय (CARICOM)** और **राष्ट्रमंडल देशों** का सदस्य है।

भौगोलिक विशेषताएं

- **सबसे ऊँचा बिंदु:** माउंट हिलबी।
- **तलछट और प्रवाल निक्षेपों (sedimentary and coral deposits)** से निर्मित।
- **प्रवाल भित्तियों (coral reefs)** से घिरा हुआ तथा कोई बड़ी नदी या झील नहीं है।